न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, हमीरपुर।

उपस्थित–अफशाँ (एच०जे०एस०) आई०डी०सं०–UP6164

UPHM010019422026

तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–904/2026

पंकज कुमार उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र जयराम, निवासी ग्राम–बांधुर बुजुर्ग, थाना बिवांर, जिला हमीरपुर (उ०प्र०) **.....आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य । **.....अभियोगी**।

मु०अ०सं०–101/2025
धारा–108 BNS
थाना–बिवांर, **जिला–**हमीरपुर

31.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **पंकज कुमार** की ओर से यह तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–101/2025 धारा– 108 बी०एन०एस०, थाना बिवांर, जिला हमीरपुर प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार यह अभियुक्त का तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र हैं। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–668/2025 दिनाँक 17.06.2025 को व द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1525/2025 दिनाँक 14.11.2025 को बल न दिए जाने के कारण निस्तारित किया जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्य न्यायालय अथवा मा० उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3. संक्षेप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नोखेलाल प्रजापति के द्वारा थाना बिवांर, जिला हमीरपुर में दिनांक 31.05.2025 को समय 18.30 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि वह ग्राम बांधुर बुजुर्ग, थाना बिवांर का रहने वाला है। उसकी लड़की आरती उर्म करीब 17 वर्ष उसके ही गांव के पकंज पुत्र जयराम प्रजापति से लगभग एक साल से बात करती थी तथा लगभग एक वर्ष पहले ही पंकज रात्रि में उसके घर में घुसा था, परन्तु उसने समाज के डर से यह बात किसी को नहीं बताई थी तभी से पंकज उसकी लड़की आरती को परेशान करता था तथा जबरजस्ती फोन पर बात करता था उसी से प्रताड़ित होकर उसकी लड़की आरती ने गांव के सचिवालय के पास वाले कुएं में कूदकर आत्म हत्या कर ली है, जिसका शव आज

दिनांक 31.5.2025 को कुएं में मिला है। अतः मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।

4. अभियुक्त/आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह आधार लिया गया कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। उसका उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। सम्पूर्ण अभियोजन कथानक झूठे एवं भ्रामक ताथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्य पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है। वह कभी भी वादी मुकदमा के घर नहीं आया और न कभी मृतका को परेशान किया। आवेदक/अभियुक्त ने स्वयं कभी भी मृतका को जबरजस्ती फोन करने के लिए बाध्य नहीं किया। मृतका की मृत्यु से उसका कोई सरोकार नहीं है। वादी मुक़दमा ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर झूठे तथ्यों पर मुकदमा लिखवाया है। मृतका कि मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है तथा वादी मुकदमा मृत्यु से संबंधित वास्तविक तथ्यों को छिपा रहा है। आवेदक/अभियुक्त मृतका की मृत्यु के समय साकेत नगर दिल्ली में निवास कर रहा था और रेडिएशन होटल साकेत नगर दिल्ली में हाउस कीपिंग अटेंडर के रूप में कार्यरत था । उसका कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तगण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

7. प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि वह वादी मुकदमा की लड़की मृतका से लगभग 01 वर्ष पूर्व से बात करता था तथा रात्रि में उसके घर में घुस आया था। वह मृतका को परेशान करता था तथा इसी से प्रताड़ित होकर वादी की पुत्री द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गई, जिसका शव दिनाँक 31.05.2025 को कुएँ से बरामद हुआ। अभियोजन द्वारा तर्क दिया गया है कि इन तथ्यों की पुष्टि दौरान विवेचना वादी व मृतका के भाई द्वारा की गयी है तथा कहा गया है कि घटना के समय व उससे पूर्व वादी मुकदमा नोएडा में कार्य करता था तथा इसी सूचना पर वह अपने गाँव आया था। अभियोजन द्वारा इस ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि समझाने पर भी प्रार्थी/अभियुक्त नहीं माना। इस संबंध में विवेचक द्वारा ग्राम वासियों के शपथ पत्र भी संलग्न किए गए हैं तथा विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जो कॉल डिटेल्स प्राप्त की गयी है, उसमें भी मृतका से बात किया जाना परीलक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभी प्रकरण विवेचनाधीन है तथा केस डायरी के पर्चा नं०–25, 26 व 28 के अवलोकन से विदित होता है कि विवेचक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की तलाश हेतु कई बार प्रयास किया गया, परन्तु वह दस्तयाब नहीं हुआ। अतः स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत

दिए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **पंकज कुमार** की ओर से मु०अ०सं०–101/2025 धारा–108 बी०एन०एस० थाना–बिवांर, जिला– हमीरपुर में प्रस्तुत तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–904/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–31.07.2026

(अफशाँ)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP6164)

Digitally signed by AFSHAN
Date: 2026.07.31 16:53:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court